महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – निन्यानवां संस्करण (माह मार्च, 2026)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन
3. सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद व जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की प्रकिया
4. सीएसआर सहयोग से मिली कचरा सग्रहण गाड़ी पंचायत की आय में हुई वृद्धि
5. स्वयं कम शिक्षित, पर बेटी को बनाया वैज्ञानिक
6. समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल
7. बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण संपन्न
8. सफलता की कहानी – स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक
श्रीमती दीपाली रस्तोगी (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री अरविन्द यादव,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का 99वां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 का तृतीय मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में पंचायत विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसे **''माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ संस्करण में **''सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद व जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की प्रकिया''**, **''सीएसआर सहयोग से मिली कचरा सग्रहण गाड़ी पंचायत की आय में हुई वृद्धि''**, **''स्वयं कम शिक्षित, पर बेटी को बनाया वैज्ञानिक''**, **''समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल''**, **''बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण संपन्न''** एवं **''सफलता की कहानी – स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत''** को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

अरविन्द यादव
संचालक

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन

पंचायत विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रहलाद सिंह पटैल जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें माननीया राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती राधा सिंह जी सहित माननीय सदस्य विधायकों के साथ विभागीय योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रीमती दीपाली रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

समिति के सदस्यों द्वारा जनहित में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुचारु रूप से पहुँच सके।

जय कुमार श्रीवास्तव
प्रोग्रामर

सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद व जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया

इस लेख में सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद व जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 21 (सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव), धारा 28 (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत), धारा 35 (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव) के प्रावधान दिये गये हैं।

इस संबंध में (मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994) के अनुसार कार्यवाही की जाती है। आईये अब जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के पारित करने की प्रक्रिया के संबंध में :–

सरपंच और उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (धारा 21)

(1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हैं, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह सरपंच या उपसरपंच, जिसके विरूद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सरपंच या उपसरपंच उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जो विहित की जाए (मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994), और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी राजस्व) नियुक्त करे। यथास्थिति सरपंच या उपसरपंच को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) किसी सरपंच या उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव –

(एक) उस तारीख से, जिसको वह सरपंच या उपसरपंच अपना पद ग्रहण करता है, ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख के, जिसको यथास्थिति उस सरपंच या उप सरपंच की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर,

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, छः मास की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति सरपंच या उपसरपंच उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता करता है, तो वह उस तारीख से, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित

किया गया था, सात दिन के भीतर कलेक्टर को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (धारा 28)

(1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय जनपद पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हैं, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जनपद पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके विरूद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जो विहित प्राधिकारी (कलेक्टर) नियुक्त करे (मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994)। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव –

(एक) उस तारीख से, जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख के, जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर,

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, छः मास की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता करता है, तो वह उस तारीख से, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, दस दिन के भीतर आयुक्त को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (धारा 35)

(1) उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय जिला पंचायत का गठन करने वाले निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हैं, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह अध्यक्ष

या उपाध्यक्ष, जिसके विरूद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए (मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994) और उसकी अध्यक्षता सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे विहित प्राधिकारी (संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव –

(एक) उस तारीख से, जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है, ढाई वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर,

(तीन) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, छः मास की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता करता है, तो वह उस तारीख से, जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, पंद्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को विवाद निर्दिष्ट करेगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, पैंतालीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994 के प्रमुख प्रावधान

(1) संक्षिप्त नाम – मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994

(2) परिभाषाएँ –

(क) ''अधिनियम'' – मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993

(ख) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' – जनपद पंचायत या जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ग) ''सचिव'' – ग्राम पंचायत का सचिव

(घ) ''धारा'' – अधिनियम की धारा

(3) सूचना

(1) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जो यथास्थिति, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच या उप सरपंच या जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास लाने के इच्छुक हो तो वे इस नियमों से संलग्न प्रारूप में विहित प्रधिकारी :–

धारा 21/2 किसी सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व

धारा 28/2 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर

35/2 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को उसकी सूचना देंगे ;

परन्तु ऐसी सूचना, सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी ;

परन्तु यह और भी कि जहॉ निर्वाचित सदस्य यथास्थिति, सरपंच और उपसरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के इच्छुक हो तो वे पृथक–पृथक सूचनाऍ देंगे।

(2) विहित प्राधिकारी, (सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, एक प्रमाण–पत्र उस पर यह कथित करते हुए हस्ताक्षरित करेगा जिसमें वह तारीख और वह समय होगा, जिसकी उसे सूचना दी गई है और उसकी प्राप्ति की अभीस्वीकृति देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, विहित प्राधिकारी (सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) यथास्थिति, धारा 21 (3), 28 (3) और 35 (3) के संदर्भ में, सूचना की ग्राह्मता के संबंध में अपना समाधान करेगा, और इस प्रकार समाधान हो जाने पर, वह यथास्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सम्मिलन के लिए तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा, जो उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी। ऐसे सम्मिलन के सूचना में उसकी तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से, सम्बद्ध पंचायत के प्रत्येक सदस्य को सम्मिलन के सात दिन पूर्व प्रेषित करवाई जाएगी।

(4) पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति

विहित प्राधिकारी, (सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) धारा 21 की उपधारा (2), धारा 28 की उपधारा (2) या धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

सरपंच या उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन के लिये नायब तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन के लिये डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कलेक्टर या अपर कलेक्टर की नियुक्ति, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये की जाएगी और विहित प्राधिकारी, (सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को और जिले के कलेक्टर को ऐसे सम्मिलन के लिये नियत तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

(5) सम्मिलन का संचालन

पीठासीन अधिकारी :–

विहित प्राधिकारी (सरपंच या उपसरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु संभागीय आयुक्त या अतिरिक्त संभागीय आयुक्त) द्वारा नियुक्त,

सरपंच या उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन के लिये नायब तहसीलदार से अनिम्न पद श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन के लिये डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिये कलेक्टर या अपर कलेक्टर

(एक) पीठासीन अधिकारी सम्मिलन में उपस्थित पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति अभिलिखत करेगा।

(दो) विलोपित

(तीन) पीठासीन अधिकारी सूचना के किसी भी हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्ताव रखने के लिए कहेगा।

(चार) प्रस्ताव के रखे जाने के पश्चात् प्रस्ताव रखने वाला प्रस्ताव पर पहले बोलेगा और उसके पश्चात् अन्य सदस्य, यदि ऐसा चाहें, प्रस्ताव पर बोल सकेंगे।

(पॉच) प्रस्ताव पर विचार–विमर्श की समाप्ति हो जाने पर, पीठासीन अधिकारी सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों को एक–एक करके बुलायेगा और उन्हें अपने सम्यक् हस्ताक्षर द्वारा उसकी अधिप्रमाणिकता उपदर्शित करते हुए, प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपने मत डालने के लिये मतपत्र देगा। ऐस सदस्य, जो प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहे, सही का चिन्ह लगायेगा तथा सदस्य जो प्रस्ताव के विरोध में मत देना चाहे, गुणा का चिन्ह लगायेगा। अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् सदस्य गोपनीयता बनाये रखने के लिये मतपत्र मो मोड़ेगा और उसे पीठासीन अधिकारी को मेज पर रखी मतपेटी में डालेगा।

(छः) मतदान हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतपेटी से मतपत्रों को बाहर निकालेगा और प्रस्ताव के पक्ष तथा विरूद्ध में मतों को छांटेगा। यदि प्रस्ताव के पक्ष में मतों की संख्या यथास्थिति, धारा 21 की उपधारा (1), धारा 28 की उपधारा (1), या धारा 35 की उपधारा (1) कर अपेक्षाओं को पूरा करे तो पीठासीन अधिकारी, यह घोषणा करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है।

(6) कार्यवाहियों का कार्यवृत

नियम 4 के अधीन बुलाये गए सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को पीठासीन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उसके सम्मिलन की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने के लिये पंचायत में रखी गई कार्यवृत पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और हस्ताक्षर किया जाएगा।

(7) अभिलेखों का सुरक्षित रखा जाना

(1) पीठासीन अधिकारी नियम 5 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट मतपत्रों को अपने कार्यालय में सम्यक् रूप से सीलबन्द कार्यवाहियों के कार्यवृत की एक प्रति के साथ एक वर्ष की कालावधि तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अभिलिखित कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में,

(एक) उपस्थित पदाधिकारियों के नाम,

(दो) अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मिलन का विनिश्चय, और

(तीन) जब ऐसा विनिश्चय निर्विरोध नहीं है, प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में मतों की संख्या तथा जो तटस्थ रहे हों, उनकी संख्या सम्मिलित होगी।

(8) विनिश्चय का, विहित प्राधिकारी तथा कलेक्टर को संसूचित किया जाना

जब पंचायत किसी अविश्वास प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय करे, तब पीठासीन अधिकारी नियम 6 के अधीन की गई कार्यवाही की एक प्रति विहित प्राधिकारी तथा कलेक्टर को तत्काल देगा।

प्रारूप

(नियम 3 का उपनियम (1) देखिये)

अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

प्रति,

विहित प्राधिकारी,

.....

मैं / हम ग्राम पंचायत ..... के सरपंच / उपसरपंच, जनपद पंचायत के .... के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के ..... के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, (जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।) के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का आशय रखता हूँ/रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के आधार निम्नानुसार हैं :–

(1) .....

(2) .....

(3) .....

स्थान : .....

तारीख : ..... हस्ताक्षर

अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित पंचों/सदस्यों की गणना तालिका

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 21 (3), 28 (3) और 35 (3) एवं मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994

पंचों / सदस्यों की कुल संख्या	अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पत्र में, सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी ;		अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित होने के लिये बहुमत (अ) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों/सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से (ब) जो तत्समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो		
			(अ) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों/सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से	(ब) जो तत्समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो	आवश्यक बहुमत
10	(⅓) 10 (÷) 3 = 3.33 = 4	**4**	(¾) 10 (x) 3 = 30 (÷) 4 = 7.5 = 8	(⅔) 10 x 2 = 20 (÷) 3 = 6.66 = 7	**8**
11	(⅓) 11 (÷) 3 = 3.66 = 4	**4**	(¾) 11 (x) 3 = 33 (÷) 4 = 8.2 = 9	(⅔) 11 x 2 = 22 (÷) 3 = 7.33 = 8	**9**
12	(⅓) 12 (÷) 3 = 4 = 4	**4**	(¾) 12 (x) 3 = 36 (÷) 4 = 9 = 9	(⅔) 12 x 2 = 24 (÷) 3 = 8 = 8	**9**
13	(⅓) 13 (÷) 3 = 4.33 = 5	**5**	(¾) 13 (x) 3 = 39 (÷) 4 = 9.75 = 10	(⅔) 13 x 2 = 26 (÷) 3 = 8.66 = 9	**10**
14	(⅓) 14 (÷) 3 = 4.66 = 5	**5**	(¾) 14 (x) 3 = 42 (÷) 4 = 10.5 = 11	(⅔) 14 x 2 = 28 (÷) 3 = 9.33 = 10	**11**
15	(⅓) 15 (÷) 3 = 5 = 5	**5**	(¾) 15 (x) 3 = 45 (÷) 4 = 11.25 = 12	(⅔) 15 x 2 = 30 (÷) 3 = 10 = 10	**12**
16	(⅓) 16 (÷) 3 = 5.33 = 6	**6**	(¾) 16 (x) 3 = 48 (÷) 4 = 12 = 12	(⅔) 16 x 2 = 32 (÷) 3 = 10.66 = 11	**12**
17	(⅓) 17 (÷) 3 = 5.66 = 6	**6**	(¾) 17 (x) 3 = 51 (÷) 4 = 12.75 = 13	(⅔) 17 x 2 = 34 (÷) 3 = 11.33 = 12	**13**
18	(⅓) 18 (÷) 3 = 6 = 6	**6**	(¾) 18 (x) 3 = 54 (÷) 4 = 13.5 = 14	(⅔) 18 x 2 = 36 (÷) 3 = 12 = 12	**14**
19	(⅓) 19 (÷) 3 = 6.33 = 7	**7**	(¾) 19 (x) 3 = 57 (÷) 4 = 14.25 = 15	(⅔) 19 x 2 = 38 (÷) 3 = 12.66 = 13	**15**
20	(⅓) 20 (÷) 3 = 6.66 = 7	**7**	(¾) 20 (x) 3 = 60 (÷) 4 = 15 = 15	(⅔) 20 x 2 = 40 (÷) 3 = 13.33 = 14	**15**
21	(⅓) 21 (÷) 3 = 7 = 7	**7**	(¾) 21 (x) 3 = 63 (÷) 4 = 15.75 = 16	(⅔) 21 x 2 = 42 (÷) 3 = 14 = 14	**16**
22	(⅓) 22 (÷) 3 = 7.33 = 8	**8**	(¾) 22 (x) 3 = 66 (÷) 4 = 16.5 = 17	(⅔) 22 x 2 = 44 (÷) 3 = 14.66 = 15	**17**
23	(⅓) 23 (÷) 3 = 7.66 = 8	**8**	(¾) 23 (x) 3 = 69 (÷) 4 = 17.25 = 18	(⅔) 23 x 2 = 46 (÷) 3 = 15.33 = 16	**18**
24	(⅓) 24 (÷) 3 = 8 = 8	**8**	(¾) 24 (x) 3 = 72 (÷) 4 = 18 = 18	(⅔) 24 x 2 = 48 (÷) 3 = 16 = 16	**18**
25	(⅓) 25 (÷) 3 = 8.33 = 9	**9**	(¾) 25 (x) 3 = 75 (÷) 4 = 18.75 = 19	(⅔) 25 x 2 = 50 (÷) 3 = 16.66 = 17	**19**

पंचों / सदस्यों की कुल संख्या	अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पत्र में, सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी ;		अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत द्वारा पारित होने के लिये बहुमत (अ) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों/सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से (ब) जो तत्समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो		
			(अ) उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों/सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से	(ब) जो तत्समय पंचायत का गठन करने वाले पंचों/सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो	आवश्यक बहुमत
26	(⅓) 26 (÷) 3 = 8.66 = 9	**9**	(¾) 26 (x) 3 = 78 (÷) 4 = 19.5 = 20	(⅔) 26 x 2 = 52 (÷) 3 = 17.33 = 18	**20**
27	(⅓) 27 (÷) 3 = 9 = 9	**9**	(¾) 27 (x) 3 = 81 (÷) 4 = 20.25 = 21	(⅔) 27 x 2 = 54 (÷) 3 = 18 = 18	**21**
28	(⅓) 28 (÷) 3 = 9.33 = 10	**10**	(¾) 28 (x) 3 = 84 (÷) 4 = 21 = 21	(⅔) 28 x 2 = 56 (÷) 3 = 18.66 = 19	**21**
29	(⅓) 29 (÷) 3 = 9.66 = 10	**10**	(¾) 29 (x) 3 = 87 (÷) 4 = 21.75 = 22	(⅔) 29 x 2 = 58 (÷) 3 = 19.33 = 20	**22**
30	(⅓) 30 (÷) 3 = 10 = 10	**10**	(¾) 30 (x) 3 = 90 (÷) 4 = 22.50 = 23	(⅔) 30 x 2 = 60 (÷) 3 = 20 = 20	**23**
31	(⅓) 31 (÷) 3 = 10.33 = 11	**11**	(¾) 31 (x) 3 = 93 (÷) 4 = 23.25 = 24	(⅔) 31 x 2 = 62 (÷) 3 = 20.66 = 21	**24**
32	(⅓) 32 (÷) 3 = 10.66 = 11	**11**	(¾) 32 (x) 3 = 96 (÷) 4 = 24 = 24	(⅔) 32 x 2 = 64 (÷) 3 = 21.33 = 22	**24**
33	(⅓) 33 (÷) 3 = 11 = 11	**11**	(¾) 33 (x) 3 = 99 (÷) 4 = 24.75 = 25	(⅔) 33 x 2 = 66 (÷) 3 = 22 = 22	**25**
34	(⅓) 34 (÷) 3 = 11.33 = 12	**12**	(¾) 34 (x) 3 = 102 (÷) 4 = 25.5 = 26	(⅔) 34 x 2 = 68 (÷) 3 = 22.66 = 23	**26**
35	(⅓) 35 (÷) 3 = 11.66 = 12	**12**	(¾) 35 (x) 3 = 105 (÷) 4 = 26.25 = 27	(⅔) 35 x 2 = 70 (÷) 3 = 23.33 = 24	**27**

डॉ. संजय राजपूत,
संकाय सदस्य

सीएसआर सहयोग से मिली कचरा सग्रहण गाड़ी पंचायत की आय में हुई वृद्धि

परिचय

ग्राम पंचायत खैरीतयगाँव मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा रेखा के नजदीक का एक दूरस्थ ग्राम है। खैरीतयगाँव मध्य प्रदेश के पांढुर्ना जिले के जनपद पंचायत–सौसर (जिला पंचायत– छिन्दवाड़ा) की एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में खैरीतयगाँव, ब्राम्हण पीपला एवं ग्वारीबढोना तीन गाँव है। यहाँ की कुल जनसंख्या 5569 एवं परिवारों की कुल संख्या 1364 है। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री चन्द्र शेखर कहाते है।

खैरीतयगाँव ग्राम पंचायत क्षेत्र सीमा में लगभग 50 छोटी बड़ी कंपनियां चल रही है। इन में प्रमुख रूप से के.जी.व्ही.अलॉय कंडक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी, रेमण्ड, रॉयल, यूकेआर, सुरुचि, सुन्दर–जी, नाकोडा, ब्रिटानिया, जिंदल आदि कंपनियां है।

इन कम्पनियों में से के.जी.व्ही. अलॉय कंडक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण मानते हुए एवं ग्राम पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) से ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करते हुए कचरा संग्रहण हेतु एक कचरा गाड़ी क्रय करने हेतु सहायता राशि प्रदान की गई है। इस सहयोग से पंचायत को कचरा संग्रहण हेतु एक आधुनिक कचरा गाड़ी प्राप्त हुई, जिससे न केवल स्वच्छता व्यवस्था में सुधार हुआ, बल्कि पंचायत की आय में भी वृद्धि हुई।

पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायत खैरीतयगाँव में पूर्व में कचरा संग्रहण की नियमित व्यवस्था नहीं थी। घर–घर से कचरा एकत्र करने हेतु संसाधनों की कमी के कारण स्वच्छता प्रभावित होती थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था न होने से ग्राम में गंदगी एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की आशंका बनी रहती थी। पंचायत ने इस समस्या के समाधान हेतु सीएसआर सहयोग प्राप्त करने की पहल की।

लागत का विवरण

विवरण राशि (रुपये में)

कम्पनी द्वारा सीएसआर अनुदान	–	5,00,000
ग्राम पंचायत का अंशदान	–	1,40,000
कुल लागत	–	6,40,000
गाड़ी प्राप्ति माह	–	अगस्त 2025

अगस्त 2025 में पंचायत को कुल 6 लाख 40 हजार रुपये की लागत से कचरा गाड़ी उपलब्ध हुई।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

- पंचायत द्वारा कम्पनी से समन्वय स्थापित कर सीएसआर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- कम्पनी ने 5 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया।
- ग्राम पंचायत ने 1 लाख 40 हजार रुपये की राशि अपने स्रोतों से व्यय कर गाड़ी क्रय की।
- गाड़ी के माध्यम से घर–घर कचरा संग्रहण प्रारंभ किया गया।

• ग्रामीणों को स्वच्छता कर देने हेतु जागरूक किया गया।

परिणाम एवं प्रभाव

(क) स्वच्छता में सुधार– नियमित घर–घर कचरा संग्रहण शुरू हुआ। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी में कमी आई। ग्राम का वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ बना।

(ख) पंचायत की आय में वृद्धि– पंचायत के तीनों गाँव में 1364 परिवार है, पंचायत द्वारा क्षेत्र में स्वच्छता कार्य पूरी तरह से नहीं होता था। इस लिए कई परिवार स्वच्छता कर नहीं देते थे। किन्तु घर–घर कचरा संग्रहण होने से स्वच्छता कर संग्रहण दिया प्रारंभ हुआ। पंचायत द्वारा प्रति घर स्वच्छता कर रु.10/– प्रति माह लिया जाना प्रारंभ किया गया। नियमित कर वसूली से पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि हुई। ग्राम पंचायत को लगभग रु.12,000/–प्रति माह आय अर्जित हो रही है इससे ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बन रही है। पंचायत अब स्वच्छता संबंधी अन्य कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम हुई।

(ग) सामुदायिक सहभागिता– ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी। ग्रामवासियों ने स्वच्छता कर भुगतान में सहयोग दिया। ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान को गति मिली।

स्थायित्व (Sustainability)

- स्वच्छता कर से प्राप्त आय से गाड़ी के रख–रखाव एवं संचालन व्यय की पूर्ति हो रही है।
- पंचायत ने भविष्य में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की अन्य योजनाओं को भी लागू करने की योजना बनाने में सक्षम हुई है।

सीख (Key Learnings)

1. सीएसआर फंड का उपयोग ग्राम विकास में प्रभावी रूप से किया जा सकता है।
2. पंचायत और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव है।
3. सामुदायिक सहभागिता से योजनाएं अधिक सफल और टिकाऊ बनती हैं।
4. स्वच्छता कर के माध्यम से पंचायत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायत खैरीतयगाँव में के.जी.व्ही. अलॉय कंडक्टर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के सीएसआर सहयोग से कचरा गाड़ी की उपलब्धता एक सफल पहल सिद्ध हुई है। इस पहल से ग्राम में स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा पंचायत की आय में वृद्धि हुई है। यह मॉडल अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है, जहाँ सीएसआर सहयोग एवं जनभागीदारी से स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

जय प्रकाश सूर्यवंशी,
राज्य सलाहकार क्षमतावर्धन,
(SoEPR-NIRDPR)

स्वयं कम शिक्षित, पर बेटी को बनाया वैज्ञानिक

रतनपुर ग्राम, शाहगढ़ विकासखण्ड, जिला सागर की निवासी श्रीमती सरस्वती लोधी एक गृहिणी हैं, वे सदैव अपने बच्चों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर चिंतित रहती थीं। स्वयं केवल प्राथमिक शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी।

परिवार के पास लगभग 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जहाँ सभी सदस्य मिल–जुलकर कृषि सखी के मार्गदर्शन में खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए घर पर ही एक छोटी किराना दुकान भी संचालित करते हैं।

उनकी बेटी प्रियंका ने गाँव से बाहर निकलकर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने 45 दिवसीय कृषि उद्यमिता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि से प्रेरित होकर श्रीमती सरस्वती ने आजीविका मिशन और एसएफएसी के सहयोग से अपनी बेटी के नाम पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु कृषि विभाग में आवेदन किया।

उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और प्रियंका का चयन शाहगढ़ विकासखण्ड में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संचालन के लिए किया गया। प्रयोगशाला स्थापना हेतु शासन की ओर से 3.5 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी भी प्राप्त हुई।

आज प्रियंका अपने ही गाँव में किसानों की भूमि की मृदा जांच कर एक "वैज्ञानिक" के रूप में कार्य कर रही हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसान अपने खेतों में उचित मात्रा में उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो रही है।

श्रीमती सरस्वती लोधी की यह प्रेरणादायक यात्रा दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, शिक्षा में विश्वास और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग न केवल एक परिवार बल्कि पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है।

''एक माँ, जो स्वयं अधिक शिक्षित नहीं थीं, उन्होंने अपनी बेटी को वैज्ञानिक उद्यमी बनाकर ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया।''

निशा बारी परनामी,
राज्य सलाहकार क्षमतावर्धन
(SoEPR-NIRDPR)

समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल

परिचय एवं पृष्ठभूमि –

ग्राम पंचायत धमना जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) ने समग्र, समावेशी एवं सतत ग्राम विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पंचायत विकासखंड राजनगर से 22 किमी की दूरी पर सतना पन्ना मार्ग पर मुख्य सडक से 3 किमी0 अंदर स्थित है पूर्व में पंचायत को स्वच्छता, जल निकासी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, ग्राम पंचायत के आय एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करते हुए पंचायत ने विकास की एक सशक्त एवं सतत दिशा निर्धारित की। लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 5800 है, जिसमें कुल 3400 मतदाता शामिल हैं। पंचायत क्षेत्र में 3 आंगनवाड़ी केंद्र एवं 6 विद्यालय संचालित हैं। एंव एक उपस्वास्थ्य केंद्र भी है।

नेतृत्व एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:

ग्राम पंचायत धमना निश्चिय एवं दूरदर्शी नेतृत्व है। ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया श्रीमति क्रांति साहू, सचिव श्री कालीचरण अहिरवार एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री ध्रुव वाजपेयी के समन्वित प्रयासों से पंचायत में पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक–सक्षम प्रशासन विकसित हुआ है। पंचायत भवन को उच्च विकसित, सुव्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सुसज्जित किया गया है, जहाँ से शासकीय योजनाओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत आज 24×7 सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रही है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान हो रहा है।

प्रमुख गतिविधियाँ एवं विकासात्मक पहलें

ग्राम पंचायत धमना का संक्षिप्त परिचय –

ग्राम पंचायत धमना जनपद पंचायत राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की एक प्रगतिशील ग्राम पंचायत है। यहॉ भाासकीय योजनाओ का प्रभावी कियान्वयन आधारभूत संरचना विकास जल संरक्षण शिक्षा एंव बाल हितैशी गतिविधियो पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पंचायत अपनी स्वयं की आय बढाने हेतु भी सक्रिय प्रयास कर रही है। तथा पारदर्शी एंव जनहितकारी प्रशासन के लिए जानी जाती है।

तकनीकी रूप से विकसित पंचायत –

ग्राम पंचायत धमना का पंचायत भवन उच्च विकसित सुव्यवस्थित एंव तकनीकी रूप से सुसज्जित पाया गया। पंचायत भवन से भाासकीय योजनाओ का प्रभावी पारद र्ी एंव समयबद्व कार्य संपादन किया जा रहा है। जिससे हितग्राहियो को योजनाओ का उचित एंव समय पर लाभ मिल रहा है।

तालाब का जीर्णोद्धार एंव सौंदर्यीकरण –

ग्राम पंचायत में तालाब का व्यापक जीर्णोद्धार एंव सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है तालाब के किनारे जलमार्ग में जल प्रवाह की दिशा को आकर्शक एंव सुव्यवस्थित बनाने हेतु छोटे छोटे ओवरफलो संरचनाओ का निमार्ण किया गया हैं। साथ ही घाट का निमार्ण तथा तालाब के मध्य भागों में बैठने हेतु चबूतरे बनाये गये ह ैजिससे यह स्थल सामुदायिक उपयोग एंव पर्यटन की दृश्टि से भी उपयोगी बन गया है।

15वें वित्त आयोग अंतर्गत बाल विकास हेतु कार्य –

15वें वित्त आयोग के अतंर्गत वित्तीय वर्श 2025–26 में लगभग 13.70 लाख रूपये की लागत से बच्चों के भौतिक एवं मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए आंगनवाडी एंव स्कूल मैदान के चारो ओर बाउंडरी वॉल का निमार्ण कराया गया है। इससे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है तथा भौक्षणिक वातावरण बेहतर बना है।

योजनाओ के कन्वरर्जेन्स से सडक निमार्ण विकास कार्य –

विभिन्न योजनाओ के कन्वरर्जेन्स के माध्यम से वित्तीय वर्श 2025–26 में लगभग 9 लाख रूपये की कीमत से ग्राम पंचायत की सडको में एग्रीगेट नाला पुराइ एंव लेवलिंग का कार्य कराया गया। इस कार्य से ग्रामीणजनो एंव वि ोशकर बच्चों के आवागमन में सुविधा एंव सुरक्षा सुनि ित हुई है।

सांस्कृतिक मंच का निमार्ण –

5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्श 2025–26 में लगभग 5 लाख रूपये की लागत से ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मंच का निमार्ण कराया गया है। यह मंच ग्राम की सांस्कृतिक गतिविधियों जनजागरूकता कार्यक्रमों एंव सामुदायिक आयोजनो के लिए उपयोगी सिद्व हो रहा है।

बाल हितैशी पंचायत एसडीजी 3 –

बाल हितैशी पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा बच्चों की ि ाक्षा स्वास्थ्य एंव पोशण पर वि ोश ध्यान दिया जाता है। आंगनवाडी एंव विद्यालयो में बच्चों की नियमित उपस्थिति गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन के संचालन स्वास्थ्य सेवाओ में आ ाा कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग तथा सुरक्षित एंव अनुकूल वातावरण सुनि ित किया जाता हैं।

पंचायत की स्वयं की आय ओएसआर –

ओएसआर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धमना द्वारा स्वच्छता कर होटल कर एंव दुकानों से प्राप्त कर के माध्यम से एक वित्तीय वर्श में लगभग 8 लाख रूपये की आय अर्जित की जा रही है। जो पंचायत की वित्तीय सुदृढता का एक अच्छा उदाहरण है।

आजीविका मिशन से टेराकोटा का कार्य –

ग्राम पंचायत में आजीविका मि ान से संचालित टेराकोटा का कार्य भी संचालित हो रहे है जिसमे मिटटी से बने बर्तन खिलौने सजावट का सामान आदि वस्तुए निर्मित की जा रही है जो वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने के संदे ा देता है एंव लोगो को मिटटी से बने वस्तुए जो लोगो को नुकसान नही पहुचाती है और जमीन से जुडे रहने के भाव को भी द ार्शाता है एंव टेराकोटा का कार्य जो माननीय राज्यपाल जी द्वारा एंव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस हो रहे कार्य की भी बहुत सराहना की और इस कार्य को बढाने के लिए भी प्रेरित किया एंव इसके हाट के लिए एक विल्डिग भी है जहा कोई भी इस सामान को बहुत ही उचित दर में खरीद सकते है।

खेत तालाब का निमार्ण –

ग्राम पंचायत में एक खेत तालाब का निमार्ण कराया गया है जिससे गॉव में सिचाई हेतु पानी की आपूर्ति बनी रहे एंव इस खेत तालाब का कार्य सभी लोग उपयोग में लेते है।

निष्कर्ष एवं अनुकरणीयता:

समेकित प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत धमना में नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सफलता सरपंच की दूरदर्शी सोच, समुदाय की सक्रिय भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय का प्रतिफल है। ग्राम पंचायत धमना आज समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है, जिसे जिला एवं राज्य स्तर पर अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है।

लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण संपन्न

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर द्वारा इन्दौर संभाग के समस्त जिलों (झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगोन, धार, खण्डवा, बड़वानी एवं इन्दौर) में जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, तथा विकास खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति के सदस्यों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 1800 से अधिक सदस्यों को गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में बच्चों के संरक्षण व देखभाल एवं बालकों की निगरानी, जनपदस्तर और ग्रामपंचायत स्तर की समिति के गठन, सदस्यों की जानकारी, समिति और समुदाय को बाल संरक्षण व सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता, समिति के सदस्यों के साथ नियमित अंतराल पर बैठक, ऐसे बच्चों का चिन्हांकन, जिन्हें संरक्षण व सुरक्षा की आवश्यकता है उनके लिये कार्ययोजना बनाना, बाल संरक्षण व देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति समिति के दायित्व, समुदाय, माता–पिता को जागरुक करना व बच्चों को उनकी आवश्कता के अनुसार सेवाऐं उपलब्ध कराना, जोखिम की परिस्थितियों से बचाना और उसमें से निकालना, बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। बाल मित्र वातावरण बनाना, बाल अधिकार बच्चों को दिलाना, इसके संबंध में अवगत कराया गया। इस प्रशिक्षण में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मिशन वात्सल्य के संबंध में विस्तृत रुप से अवगत कराया गया।

बच्चों के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों, भटकाव, उपेक्षा, कुप्रथाओं के बारे में जानकारी व उनसे बच्चों को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की गई। विशेष रुप से बाल विवाह, शाला त्याग, अन्य बुरी आदतों में बच्चों के लिप्त होने से बचाना, बाल श्रम से बचाना, लैंगिक अपराधों, दुर्व्यवहार से बच्चों को बचाना व मुक्त करना। बच्चों की देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चें, लावारिस, परित्यक्त, गुमशुदा एवं अनाथ बच्चों के लिये शासन की योजना एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण विवरण :–

समिति स्तर	प्रशिक्षण दिनांक	संख्या	प्रशिक्षण में सम्मिलित जिला
जिला पंचायत स्तर	13.02.2026	60	धार / बड़वानी / झाबुआ / इन्दौर / खरगोन / खंडवा / बुरहानपुर एवं अलीराजपुर
जनपद पंचायत स्तर	13.02.2026	120	धार / बड़वानी / झाबुआ / इन्दौर / खरगोन / खंडवा / बुरहानपुर एवं अलीराजपुर

समिति स्तर	प्रशिक्षण दिनांक	संख्या	प्रशिक्षण में सम्मिलित जिला
ग्राम पंचायत स्तर	13.02.2026	81	जिला झाबुआ की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	13.02.2026	82	जिला अलीराजपुर की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	16.02.2026	102	जिला बुरहानपुर की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	16.02.2026	92	जिला खरगोन की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	17.02.2026	804	जिला धार की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	18.02.2026	90	जिला खण्डवा की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	18.02.2026	200	जिला बड़वानी की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
	19.02.2026	200	जिला इन्दौर की समस्त ग्राम पंचायत के समिति सदस्य
कुल प्रतिभागी		1831	

बच्चों के संबंध में बालग्रह, बाल आश्रयग्रह, सम्प्रेषण ग्रह एवं बालसुधार ग्रह के संबंध में भी बताया गया। बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, Child Line 1098, गंभीर अपराध, यौन हिंसा, यौन प्रताड़ना, किशोर न्याय के मूल सिद्धांत, किशोर न्याय बोर्ड 2015, यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में बताया गया।

कोविड से प्रभावित बच्चों के लिये ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता नहीं है उनके द्वारा शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाना, बच्चों के अंग–भंग करके भीख मंगवाना, बच्चों को थैला देकर नशे की चीजों का व्यापार करवाना जो कि अपराध की श्रेणी में आता है इसमें जो सजा का प्रावधान है उसके संबंध में अवगत कराया गया।

चंद्रेश कुमार लाड़,
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण–

म.प्र. के मऊगंज जिला मुख्यालय से लगभग 55 कि.मी. तथा जिला पंचायत रीवा मुख्यालय से लगभग 127 किमी. हनुमना विकासखण्ड से 27 किमी. की दूरी पर ग्राम पंचायत लोढी उ.प्र. की सीमा से लगा हुआ है। ग्राम पंचायत लोढी एकल राजस्व ग्राम है, जो कि 25.17 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है विवरण निम्नानुसार है।

ग्राम पंचायत का नाम/	लोढ़ी (146837
सम्मिलित ग्राम एवं LGD Code	1. लोढी
कुल बसाहटों की संख्या	7
कुल जनसंख्या	3155
कुल परिवार	589
एस.सी. जनसंख्या	526
एस.टी. जनसंख्या	1071
सामान्य जनसंख्या	1558
ग्राम का क्षेत्रफल	2517.17 हेक्टेयर
ग्राम पंचायत में कुल गठित समूह संख्या	14
पी.एच.एच.एवं ए.ए.वाय.के तहत सम्मिलित परिवार	557
प्रधानमंत्री आवास प्राप्त संख्या	153
एस.बी.एम. अन्तर्गत हितग्राही	430

ग्राम पंचायत लोढी में स्वच्छता के लिए विशेष कार्य किये गये, स्वच्छता मिशन के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी, स्वच्छताग्राहियों की मदत से ग्राम में लोंगो को स्वच्छता रखने से होने वाले लाभ के बारे में लोंगों को जागरूक किया गया। शौंचालय का उपयोग करने घर के आस पास स्वच्छता रखने, कचरा के निपटान हेतु कूड़ेदान का उपयोग करने के बारे में अवगत कराया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमित सार्वजनिक स्थानों एवं सार्वजनिक परिसरों का साफ–सफाई कराया जाता है। कचरा निपटान के लिये सार्वजनिक एवं एकल कूड़ेदान निर्माण करये गये है। हैण्ड पंपो के पास रिचार्ज पिट का भी निर्माण कराया गया है।

बच्चों के द्वारा स्वच्छता रैली

सार्वजनिक परिसर की साफ– सफाई

ग्रामीणजनों को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शपथ कार्यक्रम

ग्राम पंचायत में कुल में 430 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत फेज 1 एवं फेज 2 के माध्यम से स्वच्छ शौंचालय निर्माण पर प्रोत्साहन राशि दी गई तथा 159 परिवार ऐसे है जो सक्षम है उनके द्वारा स्वयं से शौंचालय का निर्माण किया जाकर एप्योग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पूर्णतः खुले से शौंचमुक्त है।

ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थान/चौराहे पर सार्वजनिक शौंचालय का निर्माण कराया गया है। जिसका उपयोग ग्राम वासियों एवं राहगीरों द्वारा किया जा रहा है ग्राम पंचायत में समस्त शासकीय संस्थानो, विद्यालयों, बालक/बालिकाओं को में शौचालय का निर्माण कराया है।

चौराहे पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय

विद्यालय में बालक/बालक शौचालय

स्वच्छ विद्यालय परिसर

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	नाम	समिति में धारित पद	रिर्माक
1	श्री पुष्पराज सिंह	अध्यक्ष	
2	श्री अखिलेश कोल	सदस्य, सचिव	
3	श्री राजू कोल	सदस्य	
4	श्रीमति सविता पाल	सदस्य	
5	श्रीमति ममता कोल	सदस्य	
6	श्रीमति संगीता कोल	सदस्य	
7	श्रीमति अनारकली कोल	सदस्य	
8	श्री चंदन पाल	सदस्य	

उक्त समिति के द्वारा प्रत्येक माह में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक की जाकर ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या एवं साफ सफाई पर चर्चा की जाकर प्रस्ताव अनुसार कार्य कराये जा रहें हैं। सगिल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाने एवं लोंगों को प्लास्टिक ाक उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करने का कार्य समिति द्वारा किया जा रहा है। जो काफी हद तक कारगर रहा है।

उक्त ग्राम पंचायत स्वच्छता के साथ–साथ वृक्षारोपण का भी कार्य कराया गया है। ग्राम पंचायत बस्तियों में आंतरिक पथ मार्ग (पीसीसी) सह नाली का भी निर्माण कराया गया है।जिससे कीचड़ एवं अनावश्यक जल

भराव नहीं होने से गंदगी की समस्या नहीं है। 70 प्रतिशत बसाहटों में कार्य किया जा चुका है। नवीन बसाहटों में भी (पीसीसी) सह नाली निर्माण प्रारंभ है।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक

ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं हरित बनाये जाने में पूर्व सरपंच श्री पुष्पराज सिंह एवं वर्तमान सरपंच श्रीमति संजना संजय पाल का विशेष योगदान रहा है। आपके अथक प्रयासों से इतने दूरस्थ पर बसे ग्राम पंचायत लोढी में कई महत्वपूर्ण कार्य कराये गये। ग्राम पंचायत तथा लोंगों के हितार्थ है। ग्राम साफ स्वच्छ होने से ना गंदगी ह ैना कोई बीमारी है। ग्राम के लोग एक स्वच्छ व प्राकृतिक वातावरण का जीवन जी रहे है।

पीसीसी सह नाली निर्माण कार्य

आगामी रणनीति –

वर्तमान में ग्रम पंचायत 80 प्रतिशत स्वच्छता एवं हरित ग्राम पर कार्य पूर्ण कर चुकी है आगामी समय में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत में निजी कूडेदान बनाये जाने, शेरीगेशन शेड निर्माण, सार्वजनिक कूडादान रिचार्ज पिट के नये कार्य स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों में सौर लाईट (नवीनीकरण ऊर्जा) तथा ग्राम पंचायत के समस्त संस्थागत भवनों/कार्यालयों में सौर ऊर्जा स्थापित कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक वृक्षारोपण हेतु 1000 पौधे और रोपित किये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक पौधा मॉ के नाम से प्रत्येक ग्राम वासियों द्वारा रोपित किया गया है एवं अभी रोपण का कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे व्यापक तौर पर ग्राम पंचायत द्वारा सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता, स्वच्छता की सर्वोत्तम व्यवस्था,प्रदूषण मुक्त ग्राम का वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों का सरल प्रबंधन तथा नवीनीकरण ऊर्जा पर पूर्णतः निर्भरता पर कार्य व्यापक स्तर कराया जायेगा।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य